

## न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्मूल पहाड़िया, आई.ए.एस.

## उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

- प्रार्थी

## बनाम

1. रमोल } पि. रतन
2. रमेश } }
3. रिषि } पिसरान गिरधारी
4. विवेक } }
5. पिकी पुत्री गिरधारी

जाति मीना ग्राम बाजीदपुर तहसील करौली

6. गल्ला पत्नि स्व. गिरधारी

7. प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा करौली हाल बैंक एस.बी.आई. करौली

- अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक-17.09.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0-07 बीघा ग्राम वाजीदपुर तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0-07 बीघा ग्राम वाजीदपुर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2019-2023 तक के खाता सं 90 किस्म गै.मु. नाला से श्री बूचा पुत्र श्री गोपाल मीना निवासी वाजीदपुर के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में जरिये विरासत रमोल, रमेश पित. रतन, ऋषि, विवेक पि. गिरधारी, पिकी पुत्री गिरधारी गल्ला पत्नि स्व. गिरधारी जाति मीना निवासी ग्राम वाजीदपुर राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा करौली तहसील करौली जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2007 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0-07 बीघा बाके ग्राम वाजीदपुर को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 38 दिनांक 17.10.1977 जमाबन्दी सम्वत् 2019-23, 2031-34, 2072 से 2075 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थीयान ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेफरेन्स का मद नं. 1 जिस तौर पर दर्ज है, में खसरा नं. 66 रकबा 07 विस्वा का ग्राम वाजिदपुर तहसील करौली में होना स्वीकार है। बकिया इबारत गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार पचासों वर्षों से है और काबिज काश्त है। रेफरेन्स का मद नं. 02 जिस तौर पर दर्ज है मे खसरा नं. 66 रकबा 7 विस्वा ग्राम बाजीदपुर सम्वत् 2015 में नाला दर्ज होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है उक्त आराजी सम्वत् 2015 से पूर्व नाला भूमि नहीं रही है बल्कि खसरा नं. 65, 67 की भूमि है और खसरा नं. 66 खसरा नं. 65 व 67 में एक चक समतल है जिसमें फसल काश्त होती है भूमि नाला उपयोग में नहीं रही है ना अब आ रही है मौके पर कोई नाला नहीं है बल्कि काबिल काश्त भूमि है जो अप्रार्थीगण की आवंटित भूमि है जिसके सम्वत् 2015

वक्त सैटिलमेंट नाला भूमि के गलत इन्द्राज हुये है। सम्वत 2015 से पूर्व का नाला होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है। रेफरेन्स का मद नं. 3 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है स्वयं लैण्डहोल्डर प्रार्थी की अभिशंषा से भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित की गयी है जिसे काफी लम्बा अर्सा हो चुका है भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से है धारा 16 आर.टी.एक्ट के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते है दिनांक 15.10.1955 का कोई राजस्व रिकार्ड प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है हस्तांतरण वैध व विधिवत है जिसे प्रार्थी निरस्त कराने का अधिकारी नही है प्रार्थी अपने एक्ट अपोन से एस्टोपड है। रेफरेन्स का मद नं. 4 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है इस मद में दर्ज प्रकरण मे दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड रिटकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर यह निर्णय पारित किया गया था जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.08.1948 का कोई राजस्व रिकार्ड रेफरेन्स का पत्रावली में रेफरेन्स के साथ प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता है कि भूमि दिनांक 15.08.1947 को नाला भूमि थी इस स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थी विधि अनुसार चलने योग्य नही है और हरसूरत खारिज यिके जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नं. 5 बाबत सहायता है प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स के साथ दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही करने से दिनांक 15.08.1947 को भूमि नाला भूमि रही हो साबित नही होने से एवं काफी लम्बे अर्से के बाद यह रेफरेन्स प्रस्तुत करने के कारण भी चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0-07 बीघा ग्राम वाजीदपुर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 38 से किस्म बारानी-3 से श्री बूचा पुत्र श्री गोपाल मीना निवासी वाजीदपुर के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। संवत् 2072-75 में यह भूमि रमोल, रमेश पित. रतन, ऋषि, विवेक पि. गिरधारी, पिकी पुत्री गिरधारी गल्ला पत्नि स्व. गिरधारी जाति मीना निवासी ग्राम वाजीदपुर राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।


वकील अप्रार्थीयान ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी आराजी खसरा नं. 66 रकबा 7 विस्वा ग्राम वाजीदपुर का खातेदार काश्तकार पचासों वर्षों से है और काबिज काश्त है। खसरा नं. 66 रकबा 7 विस्वा ग्राम वाजीदपुर सम्वत 2015 में नाला दर्ज होना स्वीकार है। उक्त आराजी सम्वत 2015 से पूर्व नाला भूमि नही रही है बल्कि खसरा नं. 65, 67 की भूमि है और खसरा नं. 66 खसरा नं. 65 व 67 में एक चक समतल है जिसमें फसल काश्त होती है भूमि नाला उपयोग में नही रही है ना अब आ रही है मौके पर कोई नाला नही है बल्कि काबिल काश्त भूमि है जो अप्रार्थीगण की आवंटित भूमि है जिसके सम्वत 2015 वक्त सैटिलमेंट नाला भूमि के गलत इन्द्राज हुये है। सम्वत 2015 से पूर्व का नाला होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है। स्वयं लैण्डहोल्डर प्रार्थी की अभिशंषा से भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित की गयी है जिसे काफी लम्बा अर्सा हो चुका है। भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से है धारा 16 आर.टी.एक्ट के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते है। दिनांक 15.10.1955 का कोई राजस्व रिकार्ड प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। हस्तांतरण वैध व विधिवत है जिसे प्रार्थी निरस्त कराने का अधिकारी नही है प्रार्थी अपने एक्ट अपोन से एस्टोपड है। मद 4 में दर्ज प्रकरण मे दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड रिटकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर यह निर्णय पारित किया गया था जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.08.1947 का कोई

राजस्व रिकार्ड रेफरेन्स का पत्रावली में रेफरेन्स के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता है कि भूमि दिनांक 15.08.1947 को नाला भूमि थी इस स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थी विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है और हरसूरत खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नं. 5 बाबत सहायता है प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स के साथ दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 15.08.1947 को भूमि नाला भूमि रही हो साबित नहीं होने से एवं काफी लम्बे अर्से के बाद यह रेफरेन्स प्रस्तुत करने के कारण भी चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0-07 बीघा गै0 मु0 नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरण संख्या 38 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 66 किस्म बारानी 3 रकबा 0-07 श्री बूचा पुत्र श्री गोपाल मीना निवासी वाजीदपुर के नाम दिनांक 21.05.1970 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 66 किस्म बारानी-3 रकबा 0-07 रमोल, रमेश पित. रतन, ऋषि, विवेक पि. गिरधारी, पिकी पुत्री गिरधारी गल्ला पत्नि स्व. गिरधारी जाति मीना निवासी ग्राम वाजीदपुर राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा करौली अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2007 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम वाजीदपुर की आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0-07 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नन्नूल पहाडिया)

जिला कलक्टर

करौली